

उत्तर प्रदेश तैदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 19, 1972)

(उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 7-4-1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 14-4-1972 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।)

(“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 24-4-1972 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 25-4-1972 ई० को प्रकाशित हुआ।)

तैदू पत्तों का, लोक-हित में, क्रय तथा वितरण करने में राज्य एकाधिकार स्थापित करने और इससे सम्बद्ध विषयों को व्यवस्था करने का

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश तैदू पत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 5-4-1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।)

संक्षिप्त नाम,
प्रसार तथा
प्रारम्भ

परिभाषाएँ

2—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) किसी इकाई के संबंध में "अभिकर्ता" का तात्पर्य उस इकाई के संबंध में धारा 4 के अधीन नियुक्त अभिकर्ता से है ;

(ख) "इकाई" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन संघटित इकाई से है ;

(ग) "खातेदार" का तात्पर्य किसी भूमिधर, सीरदार, असाभी, सरकारी पट्टेदार या अन्य सरकारी अनुदान-पहीता से है ;

(घ) "तेंदू पत्ता उत्पादक" का तात्पर्य, ऐसी भूमि पर उगाये गये तेंदू पत्तों के संबंध में जो तत्समय—

ऐक्ट संख्या 16,
1927

(1) राज्य सरकार में निहित तथा उसके द्वारा धृत हो अथवा इन्डियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 के अधीन आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में संघटित हो, राज्य सरकार से है ;

(2) किसी गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण में निहित तथा उसके द्वारा धृत हो, ऐसी गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण से है ;

(3) किसी खातेदार द्वारा धृत हो, ऐसे खातेदार से है ;

(4) राज्य सरकार अथवा उपर्युक्त गांव सभा, स्थानीय प्राधिकरण या खातेदार की ओर से किसी भोग-बन्धकी, काश्तकार या पट्टेदार द्वारा धृत हो, यथास्थिति, ऐसे भोग बन्धकी, काश्तकार या पट्टेदार से है ;

(5) विधि द्वारा प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किये गये किसी रिस्वीवर की अभिरक्षा में हो, ऐसे रिस्वीवर से है ;

(6) किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा धृत हो, ऐसे व्यक्ति से है ;

(ङ) किसी क्षेत्र के संबंध में "नियत दिनांक" का तात्पर्य उस दिनांक से है जब से यह अधिनियम उस क्षेत्र में प्रवृत्त हो ;

(च) "वर्ष" का तात्पर्य ऐसे बारह महीनों की अवधि से है जो विहित की जाय ;

(छ) "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है ;

(ज) ऐसे शब्दों तथा पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त किये गये हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और इन्डियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उक्त ऐक्ट में उन्हें दिये गये हैं ।

ऐक्ट संख्या
16, 1927

इकाइयों का
संघटन

3—राज्य सरकार किसी क्षेत्र को उतनी इकाइयों में विभाजित कर सकती है जितनी वह उचित समझे ।

अभिकर्ताओं की
नियुक्ति

4—(1) राज्य सरकार, अपनी ओर से, तेंदू पत्तों का क्रय और उसका व्यापार करने के प्रयोजनार्थ, विभिन्न इकाइयों के संबंध में अभिकर्ता नियुक्त कर सकती है, और कोई भी ऐसा अभिकर्ता एक से अधिक इकाई के संबंध में नियुक्त किया जा सकता है ।

(2) ऐसी नियुक्ति की शर्तें तथा प्रतिबन्ध और तत्संबंधी प्रक्रिया वह होंगी जो विहित की जाय ।

तेंदू पत्तों के
विक्रय, क्रय तथा
परिवहन पर
निबंधन

5—नियत दिनांक को तथा उसके पश्चात्—

(क) कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत राज्य सरकार के किसी अधिकारी अथवा उस इकाई, जिसमें पत्ते उगे हों, से संबंधित किसी अभिकर्ता से भिन्न किसी भी व्यक्ति को तेंदू के पत्तों का विक्रय नहीं करेगा ;

(ख) उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता से भिन्न कोई भी व्यक्ति उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता से भिन्न किसी भी व्यक्ति से तेंदू पत्तों का क्रय नहीं करेगा, और न किसी ऐसी भूमि, जिसका वह स्वामी या खातेदार न हो, पर उगाये गये तेंदू पत्तों का संग्रह करेगा ;

(ग) उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता से भिन्न कोई भी व्यक्ति तेंदू पत्तों का परिवहन निम्नलिखित दशाओं के सिवाय, नहीं करेगा, अर्थात्:—

(1) यदि वह, तेंदू पत्ता उत्पादक होने की दशा में, इकाई के भीतर, जहां ऐसे पत्ते उगे हों, किसी स्थान से पत्तों का परिवहन उसी इकाई में किसी अन्य स्थान के लिये करे; अथवा

(2) यदि वह पत्तों का परिवहन उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता की ओर से करे; अथवा

(3) यदि उसने उक्त सरकार, अधिकारी या अभिकर्ता से पत्तों का क्रय या तो उत्तर प्रदेश के भीतर बीड़ियां बनाने के लिये अथवा उत्तर प्रदेश के बाहर पत्तों का विक्रय करने के लिये किया हो, और वह ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से, जिसे विहित किया जाय, तदर्थ जारी किये गये अनुज्ञापत्र की शर्तों और प्रतिबंधों के अनुसार उक्त इकाई के बाहर उनका परिवहन करे ।

6—(1) राज्य सरकार प्रत्येक ऐसे एक आयुक्त के डिब्बोजन के लिये, जहां तेंदू पत्ते उगते हैं, एक परामर्श समिति प्रत्येक वर्ष के लिये संघटित करेगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नाम-निविष्ट नौ से अधिक सदस्य नहीं होंगे :

परामर्श समिति
का संघटन

प्रतिबंध यह है कि ऐसे सदस्यों में एक-तिहाई से अधिक सदस्य तेंदू पत्ता उत्पादकों में से होंगे ।

(2) प्रत्येक डिब्बोजन की परामर्श समिति, राज्य सरकार को, समय-समय पर उस डिब्बोजन में विक्रय के लिये प्रस्तुत तेंदू पत्तों के राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से क्रय के उचित और युक्तियुक्त मूल्य निर्धारण के विषय में, तथा ऐसे अन्य विषयों पर भी जो राज्य सरकार द्वारा उसे अभिविष्ट किये जायें, परामर्श देगी ।

(3) समिति की कार्यवाही का संचालन ऐसी रीति से किया जायगा जो विहित की जाय ।

7—(1) राज्य सरकार अन्य तथ्यों के साथ-साथ निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए ऐसा मूल्य निर्धारित करेगी, जिस पर वर्ष के दौरान डिब्बोजन की प्रत्येक इकाई में उसके द्वारा या उसके लिए या तेंदू पत्ता उत्पादकों से तेंदू पत्तों का क्रय किया जायगा, अर्थात्:—

राज्य सरकार
द्वारा मूल्य
निर्धारण

(क) किसी इकाई के संबंध में पिछले तीन वर्षों में इस अधिनियम के अधीन तेंदू पत्तों का निर्धारित मूल्य, यदि कोई हो;

(ख) इकाई में उगाये गये पत्तों की किस्म ;

(ग) इकाई में उपलब्ध परिवहन सुविधायें;

(घ) परिवहन व्यय; तथा

(ङ) अनिपुण श्रमिक के लिये मजदूरी का इकाई में प्रचलित सामान्य दर ।

(2) इस प्रकार निर्धारित मूल्य ऐसे दिनांक के पूर्व और ऐसी रीति से, जैसा राज्य सरकार निदेश दे, प्रकाशित किया जायगा और उस वर्ष के दौरान जिसके संबंध में वह हो, उसमें परिवर्तन नहीं किया जायगा ।

(3) यदि उपधारा (1) के अधीन मूल्य निर्धारित किये जाने के पूर्व, धारा 6 के अधीन परामर्श समिति संघटित हो गयी हो तो राज्य सरकार ऐसा मूल्य निर्धारण करने से पूर्व परामर्श समिति से, जहां व्यवहार्य हो, परामर्श करेगी ।

8—(1) राज्य सरकार समस्त तेंदू पत्ते, जो उसे या उसके लिये विक्रय हेतु राज्य सरकार द्वारा तदर्थ स्थापित किसी डिपो पर सामान्य कार्य-समय में प्रस्तुत किये जायें, धारा 7 के अधीन निर्धारित मूल्य पर क्रय करने के लिये बाध्य होगी :

राज्य सरकार
विक्रय हेतु प्रस्तुत
समस्त तेंदू पत्तों
का क्रय करेगी

प्रतिबंध यह है कि राज्य सरकार के तदर्थ नियुक्त किसी अधिकारी या अभिकर्ता, जैसी भी दशा हो, को ऐसे तेंदू पत्तों को क्रय करने से इंकार करने का अधिकार होगा जो उसकी राय में बीड़ी बनाने के प्रयोजनार्थ उपयुक्त न हों ।

(2) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) के प्रतिबंधात्मक खंड के अधीन किसी अधिकारी या अभिकर्ता द्वारा उसके पत्तों को अस्वीकार करने के कारण क्षुब्ध हो, उससे पंद्रह दिन के भीतर और विहित रीति से प्रभागीय वन अधिकारी, या ऐसे अन्य अधिकारी को, जिसे राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत किया जाय, परिवाद प्रस्तुत कर सकता है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन कोई परिवार प्राप्त होने पर, सम्बद्ध अधिकारी उसकी सरसरी रूप से जांच करेगा और ऐसा आदेश देगा जो वह उचित समझे, और उस वंश में जब उसे पत्तों को लेने से इंकार करना अनूचित प्रतीत हो, तो वह—

(क) यदि उसे प्रश्नगत पत्ते बीड़ियां बनाने के लिये उस समय तक उपयुक्त प्रतीत हों, तो, यथास्थिति प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को उन्हें क्रय करने का निदेश देगा, और क्षुब्ध व्यक्ति के हक में ऐसा प्रतिकर दिये जाने का निदेश देगा जो पत्तों के लिये उसे दिये जाने वाले मूल्य के बीस प्रतिशत से अधिक न हो और जिसे वह उचित समझे; अथवा;

(ख) यदि उसे यह प्रतीत हो कि प्रश्नगत पत्ते बीड़ियां बनाने के लिये अब अनुपयुक्त हो चुके हैं, तो यथास्थिति, प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को क्षुब्ध व्यक्ति के हक में कोई ऐसी धनराशि का, जो उपधारा (1) के अधीन ऐसे पत्तों के लिये उसे दिये जाने वाले मूल्य के बराबर हो, और ऐसा अतिरिक्त प्रतिकर जिसे वह ऐसे व्यक्ति को हुई हानि के लिये क्षतिस्वरूप देना उचित समझे, और जो ऐसे मूल्य के दस प्रतिशत से अधिक न हो, देने का निदेश देगा।

(4) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार या उसके प्राधिकृत अधिकारी या अभिकर्ता को यह विश्वास करने का कारण हो कि विधायक प्रस्तुत कोई तेंदू पत्ते, राज्य सरकार में निहित और उसके द्वारा धृत भूमि पर या आरक्षित वन या संरक्षित वन के रूप में संपादित भूमि पर उगाये गये हैं, तो ऐसे पत्ते, किसी मूल्य का भुगतान किये बिना, और केवल ऐसे संप्रहण-ध्वय का भुगतान करके, यदि कोई हो, जिसे राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे, हस्तगत किये जा सकते हैं।

(5) उपधारा (4) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही के संबंध में उपधारा (2) तथा (3) के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

(6) इस धारा के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

उत्पादकों
इत्यादि का
रजिस्ट्रीकरण

बीड़ियों के निर्माता
तथा तेंदू पत्तों के
निर्यातकर्ता का
रजिस्ट्रीकरण

तेंदू पत्तों का
निस्तारण

9—(1) राज्य सरकार या किसी गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण से भिन्न प्रत्येक तेंदू पत्ता उत्पादक, यदि किसी वर्ष के दौरान उसके द्वारा उगाये गये पत्तों की मात्रा ऐसी मात्रा से अधिक हो जाने की संभावना हो, जो विहित की जाय, विहित रीति से अपना रजिस्ट्रीकरण करायेगा।

(2) बीड़ियों का प्रत्येक निर्माता तथा तेंदू पत्ते का प्रत्येक निर्यातकर्ता ऐसी फीस का भुगतान करके और ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, अपना रजिस्ट्रीकरण करायेगा।

10—(1) राज्य सरकार द्वारा या उसके लिये क्रय किये गये तेंदू पत्तों का विक्रय या उनका अन्य प्रकार से निस्तारण ऐसी रीति से किया जायगा जैसा राज्य सरकार निदेश दे।

(2) ऐसे तेंदू पत्तों की बिक्री जिनके संबंध में राज्य सरकार या कोई गांव सभा अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकरण उत्पादक हो, और यदि किसी ऐसे क्षेत्र में उत्पन्न तेंदू पत्तों जिनके किसी एक भाग के संबंध में राज्य सरकार उत्पादक हो और दूसरे भाग के संबंध में गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण उत्पादक हो, को सरकार बेचती हो अथवा विकवाली हो तो ऐसी बिक्री की शुद्ध आय का राज्य सरकार और ऐसी गांव सभा या अन्य स्थानीय प्राधिकरण के बीच प्रभाजन, राज्य सरकार द्वारा तदर्थ जारी किये गये किसी सामान्य या विशेष आदेश के अनुसार किया जायगा।

शक्तियों का
प्रतिनिधान

प्रवेश करने,
तलाशी लेने,
अभिग्रहण करने
आदि के अधिकार

11—राज्य सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन अपनी कोई शक्ति या कृत्य ऐसे किसी अधिकारी को, जिसका पद सहायक अरण्य-पाल के पद से कम न हो, प्रतिनिहित कर सकती है, जो उसका प्रयोग या सम्पादन, ऐसी शर्तों या निबंधनों के अधीन, यदि कोई हों, जिन्हें राज्य सरकार आदेश में निदिष्ट करे, रहते हुए करेगा।

12—(1) कोई पुलिस अधिकारी, जिसका पद उप-निरीक्षक के पद से कम न हो, या कोई भी वन अधिकारी इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुपालन को सुनिश्चित करने या अपना यह समाधान करने के उद्देश्य से कि उक्त उपबन्धों का अनुपालन किया गया है—

(1) किसी ऐसे व्यक्ति, नौका, गाड़ी या पात्र को जिसे तेंदू पत्तों का परिवहन करने में प्रयुक्त किया गया हो या जो प्रयोग करने के लिये अभिप्रेत हो, रोक सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है;

(2) किसी भी स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है;

(3) ऐसे तैदू पत्तों को जिनके संबंध में उसे सन्देह हो कि इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, ऐसे पात्र सहित, जिसमें ऐसे पत्ते हों, या ऐसी गाड़ी या नौकाओं के साथ जो पत्तों को लाने में प्रयुक्त की गयी हों, अभिग्रहण कर सकता है ।

(2) तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 102 तथा 103 के उपबन्ध, यथासंभव, इस धारा के अधीन तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के संबंध में लागू होंगे ।

13—यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो उसके संबंध में यह समझा जायगा कि उसने वन अपराध किया है, और तैदू पत्ता, यदि कोई हो, जिसके संबंध में उक्त अपराध किया गया है, ऐसा अपराध किये जाने के संबंध में, वन उपज समझी जायगी, और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 के अध्याय 1 के उपबन्ध, (धारा 69 को छोड़कर) तदनुसार आवश्यक परिष्कारों के साथ लागू होंगे ।

14—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो, तो कम्पनी तथा अपराध किये जाने के समय उसके कार्य संचालन के लिये कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार वह उसके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने का उत्तरदायी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में दी गयी किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दंड का उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसे अपराध किये जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक उपाय किये ।

(2) उपधारा (1) में दी गयी किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज तथा ट्रेजरर्स, डाइरेक्टर, मैनेजर या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है अथवा ऐसे अपराध का किया जाना मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज तथा ट्रेजरर्स, डाइरेक्टर, मैनेजर या अन्य अधिकारी की चेष्टा के कारण आरोप्य हो, तो कम्पनी के ऐसे मैनेजिंग एजेंट, सेक्रेटरीज तथा ट्रेजरर्स, डाइरेक्टर, मैनेजर या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने के उत्तरदायी होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है तथा इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है ; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "डाइरेक्टर" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है ।

15—किसी ऐसे वन अधिकारी द्वारा जिसका पद प्रभागीय वन अधिकारी के पद से कम न हो अथवा ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा तदर्थ अधिभूत करे, उन तथ्यों के संबंध में जिनसे कि अपराध बनता हो, दिये गये लिखित प्रतिबन्धन के सिवाय, कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा ।

16—इस अधिनियम के उपबन्ध, किसी अन्य विधि अथवा किसी संविदा या अन्य संलेख में दी गयी उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे ।

17—(1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के संबंध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

(2) राज्य सरकार के विरुद्ध इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के उपबन्धों के आधार पर या ऐसी किसी बात से, जो इस अधिनियम या तदन्तर्गत बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावना से की गयी हो या की जाने के लिये अभिप्रेत हो, किसी ऐसी हानि के लिये जो हुई हो या जिसके होने की संभावना हो अथवा किसी ऐसी क्षति के लिए जो हुई हो या जिसके होने की संभावना हो, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

18—(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी भी विषय की व्यवस्था की जा सकती है ; अर्थात्—

(क) अभिकर्ताओं की नियुक्ति करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ख) तैदू पत्तों की मूल्य-सूची का प्रकाशन;

1898 का अधि-
नियम 5

शास्ति

कम्पनी द्वारा
अपराध

अपराधों का
संज्ञान

अधिनियम के
उपबन्धों का
अभिभावी प्रभाव
होगा

सद्भावना से
किये गये कार्य के
संबंध में वचाव

नियम बनाने
की शक्ति

- (ग) इस अधिनियम के अधीन जांच करने की रीति ;
 (घ) प्राधिकारी जिसके द्वारा, रीति जिसके अनुसार तथा शर्तें जिन पर तैदू पत्तों के परिवहन के लिये धारा 5 के अधीन अनुज्ञापत्र जारी किये जा सकते हैं ;
 (ङ) धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की रीति, अवधि जिसके भीतर ऐसा रजिस्ट्रीकरण किया जायगा, तथा उसकी उपधारा (2) के अधीन देय फीस ;
 (च) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन प्रतिकर अवधारित करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत ;
 (छ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या किया जाय ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये समस्त नियम, बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल तीस दिन की अवधिपर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये, प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिये सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

संक्रमणकालीन
उपबन्ध

19—यदि 1 जुलाई, 1971 और 24 फरवरी, 1972 के बीच किसी समय तैदू पत्तों के किसी उत्पादक ने किसी व्यापारी के साथ ऐसे तैदू पत्तों की बिक्री के लिए, जो उसके द्वारा वर्ष 1972 में उगाये जाने हों, कोई संविदा की हो और ऐसे संविदा के अन्तर्गत व्यापारी से ऐसे पत्तों के, जो व्यापारी को दिये जाने हों, मूल्य की ओर कोई अग्रिम धनराशि ले ली हो तो, इस बात के होते हुए भी कि ऐसी संविदा धारा 5 और 16 के उपबन्धों के कारण निषेधित दिनांक को शून्य हो गयी हो, उक्त उत्पादक और व्यापारी ऐसी अग्रिम धनराशि का व्योरा देते हुए प्रभागीय वन अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अधिकारी के समक्ष संयुक्त आवेदन-पत्र दे सकते हैं, और तदोपरान्त उक्त अधिकारी यथाविधि यह समाधान हो जाने पर कि आवेदन-पत्र उत्पादक द्वारा स्वेच्छा से दिया गया है, धारा 8 में अभिदिष्ट अधिकारी या अभिकर्ता को उत्पादक की ओर से व्यापारी को, धारा 8 के अधीन विक्रीत पत्तों के लिये उत्पादक को देय मूल्य में से, ऐसी धनराशि जो बिना किसी व्याज या प्रतिकर के कुल अदत्त अग्रिम धनराशि से अधिक न होगी, देने का निदेश दे सकता है, और राज्य सरकार या अभिकर्ता, उत्पादक के प्रति, और उत्पादक, व्यापारी के प्रति, ऐसे भुगतान की सीमा तक दायित्व से उन्मुक्त हो जायेंगे, और उत्पादक ऐसी अग्रिम धनराशि के सम्बन्ध में किसी व्याज या प्रतिकर का देनदार न होगा ।

वैधीकरण

20—राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30 मार्च, 1972 के गजट में प्रकाशित सूचना संख्या 1942/14-2-72, दिनांक 29 मार्च, 1972 जिसके द्वारा इकाइयों के लिए अभिकर्ताओं के रूप में नियुक्ति के लिये प्रार्थना-पत्र आमन्त्रित किये गये तथा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई सूचना संख्या 1861/14-2-72, दिनांक 22 मार्च, 1972 जिसके द्वारा राज्य सरकार या उसके अधिकारियों या अभिकर्ताओं द्वारा संग्रह किये गये अथवा संग्रह किये जाने के लिए सम्भावित तैदू पत्तों के क्रय करने के इच्छुक व्यक्तियों से निविदाओं को आमन्त्रित किया गया, तथा उपर्युक्त सूचनाओं के अनुसरण में की गयी कोई बात अथवा किया गया कोई कार्य उसी प्रकार वैध समझा जायगा व सदैव से वैध रहा समझा जायगा मानों कि राज्य सरकार द्वारा धारा 18 के अधीन बनाये गये तथा गजट दिनांक 17 मार्च, 1972 में प्रकाशित नियम दिनांक 17 मार्च, 1972 को प्रवृत्त हो गये थे ।

निरसन

21—उत्तर प्रदेश तैदू पत्ता (व्यापार-विनियमन) अध्यादेश, 1972 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

THE UTTAR PRADESH TENDU PATTÀ (VYAPAR VINIYAMAN)
ADHINIYAM, 1972

(U. P. ACT No. 19 OF 1972)

(Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Tendu Pattà (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1972)

AN
ACT

to provide, in the public interest, for the creation of State monopoly in the purchase and distribution of tendu leaves and for matters connected therewith.

It is hereby enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Tendu Pattà (Vyapar Viniyaman) Adhiniyam, 1972.

Short title, extent and commencement.

(2) It extends to the whole of Uttar Pradesh.

(For Statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated April 5, 1972.)

(Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on April 7, 1972, and by the Uttar Pradesh Legislative Council on April 14, 1972.)

(Received the Assent of the Governor on April 24, 1972 under Article 200 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated April 25, 1972.)

(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the *Gazette* appoint, and different dates may be appointed for different areas of Uttar Pradesh.

Definitions

2. In this Act, unless the context otherwise requires—

(a) "agent", in relation to a unit, means an agent appointed under section 4 in respect of such unit;

(b) "unit" means a unit constituted under section 3 ;

(c) "tenure-holder" means a *bhumidhar*, *sirdar*, *asami*, Government lessee or other Government grantee;

(d) "grower of *tendu* leaves" means—

(i) in respect of *tendu* leaves grown on land which is for the time being vested in and held by the State Government or constituted as a reserved forest or protected forest under the Indian Forest Act, 1927,—the State Government ;

(ii) in respect of *tendu* leaves grown on land which is for the time being vested in and held by a Gaon Sabha or other local authority,—such Gaon Sabha or other local authority ;

(iii) in respect of *tendu* leaves grown on land which is for the time being held by a tenure-holder,—such tenure-holder ;

(iv) in respect of *tendu* leaves grown on land which is for the time being held by a mortgagee in possession or tenant or lessee on behalf of the State Government or such Gaon Sabha, local authority or tenure-holder as aforesaid,—such mortgagee in possession, tenant or lessee, as the case may be ;

(v) in respect of *tendu* leaves grown on land which is for the time being in the custody of a receiver appointed by a court or by some other authority in exercise of a power conferred by law,—such receiver ;

(vi) in respect of *tendu* leaves grown on land which is for the time being held by any other person,—such person ;

(e) "appointed day" in relation to any area, means the day on which this Act comes into force in that area ;

(f) "year" means such period of twelve months as may be prescribed ;

(g) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act ;

(h) words and expressions used but not defined in this Act, and defined in the Indian Forest Act, 1927, shall have the meanings assigned to them in that Act.

Constitution of Units.

3. The State Government may divide any area into such number of units as it may deem fit.

Appointment of agents.

4. (1) The State Government may, for the purpose of purchase of, and trade in *tendu* leaves on its behalf, appoint agents in respect of different units, and any such agent may be appointed in respect of more than one unit.

(2) The terms and conditions of, and the procedure respecting, such appointment shall be such as may be prescribed.

Restrictions on sale, purchase and transport of *tendu* leaves.

5. On and after the appointed day—

(a) no person shall sell *tendu* leaves to any person other than the State Government or an officer of the State Government authorised by it in that behalf or an agent in respect of the unit in which the leaves have grown ;

(b) no person other than such Government, officer or agent shall purchase *tendu* leaves from any person other than such Government, officer or agent, or collect *tendu* leaves grown on any land of which he is not owner or tenure-holder ;

(c) no person other than such Government, officer or agent shall transport *tendu* leaves except in the following cases, namely :—

(i) where he being a grower of *tendu* leaves transports them from any place within the unit wherein such leaves have grown to any other place in that unit; or

(ii) where he transports them on behalf of such Government, officer, or agent ; or

(iii) where he has purchased the leaves from such Government, officer or agent either for the manufacture of *bidis* within Uttar Pradesh or for sale of the leaves outside Uttar Pradesh, and he transports them outside the unit in accordance with the terms and conditions of a permit issued in that behalf by such authority and in such manner as may be prescribed.

6. (1) The State Government shall for each year constitute for each such Division of a Commissioner, where *tendu* leaves grow, an Advisory Committee which shall consist of not more than nine members nominated by the State Government :

Constitution of
Advisory Com-
mittee.

Provided that not more than one-third of such members shall be from amongst persons who are growers of *tendu* leaves.

(2) The Advisory Committee for each division shall advise the State Government in the matter of fixation from time to time of a fair and reasonable price at which *tendu* leaves offered for sale may be purchased by or on behalf of the State Government in that division, and also on such other matters as may be referred to it by the State Government.

(3) The business of the Committee shall be conducted in such manner as may be prescribed.

7. (1) The State Government shall having regard to the following among other factors fix the price at which *tendu* leaves shall be purchased by or for it from growers of *tendu* leaves in each unit of the division during the year namely :—

Fixation of
price by State
Government.

(a) the price of *tendu* leaves, if any, fixed under this Act during the preceding three years in respect of the unit ;

(b) the quality of the leaves grown in the unit;

(c) the transport facilities available in the unit ;

(d) the cost of transport ; and

(e) the general rate of wages for unskilled labour prevalent in the unit.

(2) The price so fixed shall be published before such date and in such manner as the State Government may direct, and shall not be altered during the year to which it relates.

(3) Where an Advisory Committee has been constituted under section 6 before the fixation of price under sub-section (1), the Advisory Committee shall, wherever practicable, be consulted by the State Government before such fixation.

8. (1) The State Government shall be bound to purchase at the price fixed under section 7 all *tendu* leaves offered for sale to or for it during the normal hours of business at a depot set up by the State Government in that behalf :

State Govern-
ment to purchase
all *tendu* leaves
offered for sale.

Provided that it shall be open to an officer of the State Government or agent, as the case may be, appointed in that behalf to refuse to purchase any leaves which in his opinion are not fit for the purpose of manufacture of *bidis*.

(2) Any person aggrieved by the rejection of his leaves by an officer or agent under the proviso to sub-section (1), may within fifteen days therefrom, and in the manner prescribed complain to the Divisional Forest Officer, or such other officer as may be empowered by the State Government in that behalf.

(3) On receipt of a complaint under sub-section (2), the officer concerned shall hold summary inquiry and pass such order as he may deem fit, and in case he finds the rejection of the leaves to be improper he may—

(a) if he considers the leaves in question still suitable for manufacture of *bidis*, direct the authorised officer or agent, as the case may be, to purchase the same and also direct the payment to the person aggrieved of such compensation not exceeding twenty per centum of the price of the leaves payable to him, as he may deem fit ; or

(b) if he considers that the leaves in question have since become unsuitable for manufacture of *bidis*, direct the authorised officer or agent, as the case may be, to pay to the person aggrieved an amount equivalent to the price of such leaves payable to him under sub-section (1) and such further compensation not exceeding ten per centum of such price as he may deem fit by way of damages for the loss suffered by such person.

(4) Notwithstanding, anything in sub-section (1), where the State Government or its authorised officer or agent has reason to believe that any *tendu* leaves offered for sale were grown on any land which is vested in and held by the State Government or which is constituted as reserve forest or protected forest, such leaves may be appropriated without payment of price ; and on payment only of such collection charges, if any, as the State Government may from time to time determine.

(5) The provisions of sub-sections (2) and (3) shall *mutatis mutandis* apply in relation to any action taken under sub-section (4).

(6) Every order passed under this section shall be final and shall not be called in question in any Court.

Registration of
growers, etc.

9. (1) Every grower of *tendu* leaves other than the State Government or a Gaon Sabha or other local authority shall, if the quantity of leaves grown by him during a year is likely to exceed such quantity as may be prescribed, get himself registered in the prescribed manner.

Registration of
manufacturer of
bidis and exporter
of *tendu* leaves

(2) Every manufacturer of *bidis* and every exporter of *tendu* leaves shall get himself registered on payment of such fee and in such manner as may be prescribed.

Disposal of the
leaves.

10. (1) *Tendu* leaves purchased by or for the State Government shall be sold or otherwise disposed of in such manner as the State Government may direct.

(2) The sale of *tendu* leaves in respect of which the grower is the State Government or a Gaon Sabha or other local authority shall be governed by, and where the Government sells or causes to be sold the *tendu* leaves grown in any area in respect of a part of which the grower is the State Government and in respect of another part of which the grower is a Gaon Sabha or other local authority, the net proceeds of such sale shall be apportioned between the State Government and such Gaon Sabha or other local authority in accordance with any general or special order of the State Government issued in that behalf.

Delegation of
powers.

11. The State Government may by general or special order delegate any of its powers or functions under this Act or the rules made thereunder to any officer not below the rank of an Assistant Conservator of Forests, who shall exercise or perform the same subject to such conditions or restrictions, if any, as the State Government may specify in the order.

Powers of
entry, search, sei-
zure, etc.

12. (1) Any police officer not below the rank of a sub-inspector or any forest officer may, with a view to securing compliance with the provisions of this Act or the rules made thereunder or to satisfying himself that the said provisions have been complied with—

(i) stop and search any person, boat, vehicle or receptacle used or intended to be used for the transport of *tendu* leaves ;

(ii) enter and search any place ;

(iii) seize *tendu* leaves in respect of which he suspects that any provision of this Act or the rules made thereunder has been, is being or is about to be contravened alongwith the receptacle containing such leaves, or the vehicle or boats used in carrying such leaves.

(2) The provisions of sections 102 and 103 of the Code of Criminal Procedure, 1898, of relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this section.

13. If any person contravenes any of the provisions of this Act or the rules made thereunder he shall be deemed to have committed a forest-offence and the *tendu* leaves, if any, in respect of which such offence is committed shall in relation to the commission of such offence be deemed to be forest produce, and the provisions of Chapter IX of the Indian Forest Act, 1927, as amended in its application to Uttar Pradesh (excepting section 69) shall accordingly apply with necessary modifications.

Penalty.

14. (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Offences by Companies.

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any managing agent, secretaries and treasurers, director, manager, or other officer of the Company, such managing agent, secretaries and treasurers, director, manager or other officer of the Company shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation—For the purposes of this section—

(a) "company" means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals, and

(b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

15. No court shall take cognizance of any offence punishable under this Act except on a report in writing of the facts constituting such offence made by any Forest Officer not below the rank of a Divisional Forest Officer or by any other officer as may be empowered by general or special order of the State Government, in that behalf.

Cognizance of offences.

16. The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law or in any contract or other instrument.

Provisions of Act to have over-riding effect.

17. (1) No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

Savings in respect of acts done in Good faith .

(2) No suit or other legal proceedings shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused or any injury suffered or likely to be suffered by virtue of the provisions of this Act or the rules made thereunder or by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

18. (1) The State Government may make rules for carrying out purposes of this Act.

Power to make rules.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

- (a) the procedure to be followed in making appointment of agent ;
- (b) the publication of the price lists of *tendu* leaves ;
- (c) the manner of holding inquiries under this Act ;
- (d) the authority by whom, the manner in which and the conditions subject to which permits for transport of *tendu* leaves may be issued under section 5 ;
- (e) the manner of registration under section 9 ; the period within which such registration shall be made, and the fee payable under sub-section (2) thereof ;
- (f) the guiding principles for the determination of compensation under sub-section (3) of section 8 ;
- (g) any other matter which has to be, or may be prescribed.

(3) All rules made under this Act shall as soon as may be after they are made be laid before each House of the State Legislature, while it is in session, for a total period of not less than thirty days, extending in its one session or more than one successive sessions, and shall, unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette*, subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may agree to make; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

Transitory provision.

19. Where at any time between July 1, 1971 and February 24, 1972, any grower of *tendu* leaves had entered into any contract for the sale of *tendu* leaves expected to be grown by him during the year 1972 to any trader and obtained an advance from such trader towards the price of the leaves expected to be delivered to the trader under such contract, then notwithstanding that by virtue of the provisions of sections 5 and 16 such contract shall have become void on the appointed day, the said grower and trader may make a joint application before the Divisional Forest Officer or an officer authorised by him in that behalf giving particulars of such advance, and thereupon the said officer, on being duly satisfied that the application has been voluntarily made by the grower, may direct the officer or agent referred to in section 8 to pay on behalf of the grower to such trader a sum, not exceeding the total unpaid amount of the advance without any interest or compensation, out of the price due to the grower for leaves sold under section 8, and the liability of the State Government or the agent to the grower and of the grower to the trader shall to the extent of such payment stand discharged, and the grower shall not be liable to pay any interest or compensation in respect of such advance.

Validation.

20. The notice no. 1942/XIV—2-71-72, dated March 29, 1972, published by the State Government in the *Gazette*, dated March 30, 1972, by which applications were invited for appointment as agents for units and the tender notice no. 1861/XIV-II-72, dated March 22, 1972, issued by the State Government by which tenders were invited from persons desirous of purchasing *tendu* leaves collected or likely to be collected by the State Government or by its officers or agents and anything done or any action taken in pursuance of the said notices shall be deemed to be and always to have been as valid as if the rules made by the State Government under section 18 and published in the *Gazette*, dated March 17, 1972 had come into force on March 17, 1972.

Repeal.

21. The Uttar Pradesh Tendu Patta (Vyapar Viniyaman) Adhyadesh, 1972, is hereby repealed,